रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक/अका./2021/6089 जबलपुर, दिनांक 15/9/2021

अधिसूचना

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को कोड– 28 की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने हेतु अधोलिखित निर्देशों को पूर्ण किया जाना अति–आवश्यक होगा, यथाः–

01 महाविद्यालय जब कालेज कोड–28 के तहत् गठित प्राचार्य/सहायक प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया को शासी निकाय में प्रस्तुत करते हैं, और शासी निकाय के प्रतिवेदन को बन्द लिफाफे के साथ विश्वविद्यालय में जमा करते हैं । ऐसी स्थिति में शासी निकाय की बैठक का छायाचित्र आवश्यक रूप से संलग्न करें । जिससे की सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके । छायाचित्र के अभाव में कोड–28 की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जावेगी ।

02 कोई भी अशासकीय महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में पदस्थ शिक्षकों को उच्च पद पर (एसोसियट प्रोफेसर/प्रोफेसर) पदोन्नत करता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय पदोन्नत शिक्षक का पिछले तीन माह की मासिक वेतन, बैंक स्टेटमेंट की प्रति के साथ ही 03 वर्ष (तीन वर्ष)के आयकर रिटर्न (ITR) की प्रति भी संलग्न करेगा । उक्त कार्यवाही किसी भी अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा किसी अन्य महाविद्यालय में पदस्थ शिक्षक के लिए की जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उक्त प्रक्रिया प्रभावशील होगी साथ ही ऐसे शिक्षक जो अन्यत्र महाविद्यालय में कोड–28 की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें वर्तमान महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्य से अनापत्ति प्रमाण–'पत्र संलग्न करना होगा ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।

पृ0 क्रमांक/अका./2021/6089"अ" जबलपुर, दिनांक 15/9/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ : –

1. समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
2. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण ।
3. प्रभारी आई0क्यू0ए0सी0 सेल, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर।
4. कुलपति जी/कुलसचिव जी के सचिव,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।